

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 जुलाई 2015—आषाढ़ 29, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2015

अ. सू. क्र. 140-एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, कोटर, जिला, सतना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	14 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 04 सन्त विनोवा वार्ड 07 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	02 इंदिरा गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	10 कस्तुरबा वार्ड 11 स्वामी विवेकानन्द वार्ड 12 मोतीलाल नेहरू वार्ड 15 लालबहादुर शास्त्री वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	14 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 04 सन्त विनोवा वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	निरंक	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	12 मोतीलाल नेहरू वार्ड 15 लालबहादुर शास्त्री वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 04, 05, 06 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	04	05 आजाद चन्द्रशेखर वार्ड 13 सरदार भगत सिंह वार्ड 06 महात्मा गांधी वार्ड 01 सरदार पटेल वार्ड

अधि. सू. क्र. 141-एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, चाकघाट, जिला रीवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	15 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	12 भगत सिंह वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	05 सुभाष चन्द्र वार्ड 06 महात्मा गांधी वार्ड 09 कस्तूरबा गांधी वार्ड 14 राममनोहर लोहिया वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	14 राममनोहर लोहिया वार्ड 05 सुभाष चन्द्र वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 04, 05, 06 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	05	01 हनुमान वार्ड 02 मंगल पाण्डेय वार्ड 03 तिलक वार्ड 07 चन्द्र शेखर आजाद वार्ड 13 राजीव गांधी वार्ड

अधि. सू. क्र. 142-एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, लांजी, जिला बालाघाट के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

स. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	10 चन्द्र शेखर आजाद वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	01 महात्मा गांधी वार्ड 05 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	03 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 07 डॉ. आम्बेडकर वार्ड 09 बाल गंगाधर तिलक वार्ड 11 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
4	अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए कुल वार्ड	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	01	05 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	03 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 05 बाल गंगाधर तिलक वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 04, 05, व 06 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	04	06 पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड 08 छत्रपति शिवाजी वार्ड 14 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी 15 पं. दिनदयाल वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.